"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 4-4/2012/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 05-08-2013 से 08-08-2013 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 3 एवं 4 अगस्त, 2013 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 09, 10 एवं 11 अगस्त, 2013 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 5-2/2013/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 24 जून, 2013 से 28 जून, 2013 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 22 एवं 23 जून, 2013 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 29 एवं 30 जून, 2013 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 1508/681/दो-गृह/भापुसे/2013.— विभागीय आदेश क्रमांक 1-8/दो-गृह/भापुसे/2005, दिनांक 29-05-2013 द्वारा श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., तत्का. सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स. बल, भिलाई वर्तमान पुलिस अधीक्षक, जिला-जगदलपुर, बस्तर को दिनांक 03-06-2013 से 14-06-2013 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री यादव द्वारा उक्त अवकाश का लाभ नहीं लेने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-38/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भा.पु.से., (2000) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 26-08-2013 से 03-09-2013 तक (कुल 09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-08-2013 के विज्ञप्त शास. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्रीमती मिश्रा को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पु. मु. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पु. मु. रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 04-02/2013/23.—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 सहपठित सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची-एक के अनुसार सांख्यिकी सर्वेक्षण, इसमें इसके पश्चात् उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 के रूप में निर्दिष्ट है, के माध्यम से विनिर्माण एवं इससे संबंधित कार्यकलापों

के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देता है एवं भौगोलिक यूनिट के संबंध में नीचे दी गई अनुसूची-दो के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त करती है :—

अनुसूची-एक

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन**— उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढांचे से संबंधित आंकड़े, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, मरम्मत सेवाएं, गैस तथा जलापूर्ति और शीत भंडारण से संबंधित कार्यकलाप समाविष्ट है, एकत्र किये जायेंगे.

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र**—उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण कार्य 2013-14, छत्तीसगढ़ राज्य में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के अधीन राज्य क्षेत्र के लिए चयनित प्रतिवर्ष इकाई के संबंध में किया जा रहा है.

3. **आंकड़े संग्रहण की रीति**—प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को नोटिस जारी करेगा जिसमें, जिस आंकड़े के लिए, जिस अधिकारी अथवा कार्यालय को, जिस इकाई अथवा इकाईयों के लिए, और प्रपत्र जिसमें सूचना देना अपेक्षित है, का ब्यौरा दिया जाएगा. सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों, सूचनादाता को इलेक्ट्रानिक फार्म में निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है.

4. **सूचनादाताओं का प्रकार जिनके आंकड़े एकत्र किए जायेंगे**—

(एक) इकाई [कोई फैक्ट्री या बिजली अथवा गैस या जल आपूर्ति उपक्रम अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) के अन्तर्गत पंजीकृत कोई प्रतिष्ठान] का मालिक अथवा अधिभोगी (पदाधिकारी) जिसे इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा.

(दो) सांख्यिकी अधिकारी ऐसे मामले में, जहां विभिन्न इकाईयों के लिए अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है, एक ही प्रबंध-मंडल के अधीन दो अथवा अधिक इकाईयों के संबंध में मालिक अथवा अधिभोगी (पदाधिकारी) से सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा, जो कि नोटिस में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये.

5. **अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा कर सकेंगे**—नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और सामान्यत: पर यह तारीख सितम्बर, 2012 से जून, 2013 के दौरान होगी.

6. **सन्दर्भ अवधि**— 01 अप्रैल, 2011 से शुरु होने वाले और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा 01 अप्रैल, 2011 और 31 मार्च, 2012 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले इकाई के लेखाकरण वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है.

7. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति**—भाग-एक के अनुसार अपेक्षित सूचना, अस्तियों और देयताओं, रोजगार तथा श्रमिक लागत, प्राप्तियां, व्यय, इनपुट मदें-देशीय और आयातित उत्पाद तथा उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय इत्यादि से संबंधित है.

8. **भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी है**—सूचनादाता या तो हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में विहित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा.

9. **सूचनादाता की बाध्यता**—इकाई का मालिक अथवा अधिभोगी (पदाधिकारी) सूचना उसी रीति में उस तारीख तक प्रस्तुत करेगा जैसा कि संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लेख किया गया हो. उसे निरीक्षण हेतु सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे, तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.

10. **कारोबार के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है**—इकाई के कारोबार के अभिलेखों जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाते, मस्टर रोल, हाजिरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, पे-रोल, निदेशक की रिपोर्ट अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य वैधानिक दस्तावेजों का सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा.

11. **निरीक्षण की रीति**—संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई के कारोबार के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर उस इकाई द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन कर सकेगा तथा संबंधित मालिक अथवा अधिभोगी (पदाधिकारी) अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा.

अनुसूची-दो

स. क्र.	सांख्यिकी अधिकारी के नाम व पदनाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	सांख्यिकी अधिकारी का पता
1.	श्री मोहन सिंह कंवर, सहायक संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर.	छत्तीसगढ़	एफ 3/6, 209 जी ए डी कालोनी कचना रायपुर, छत्तीसगढ़.

टीप :—

1. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करने, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने जैसा कि आवश्यक हो, के लिए सांख्यिकी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा. प्रत्येक व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा.

2. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 के संबंध में, सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई, भाग-एक में संग्रहित सांख्यिकी (आंकड़े) का, विधिवत् सत्यापन और जांच करने के पश्चात् उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी शाखा), कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा संधारित किया जाएगा.

3. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़े सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अन्तर्गत प्रावधानों द्वारा शासित होंगे.

No. F 04-02/2013/23.—In exercise of the power conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistic Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011 the State Government, hereby, directs collection of statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as the Annual Survey of Industries 2013-14, as per Schedule-I, an appoints Statistics officer in respect of the geographical units as per Schedule-II, mentioned below—

SCHEDULE—I

1. **Subject and purpose for collection of statistics**— Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2013-14.

2. **Geographical area for collection of statistics**— The Annual Survey of Industries 2013-14 is being conducted in the State of Chhattisgarh with respect to sample units selected for state sector under the Collection of Statistics Act, 2008, (No. 7 of 2009).

3. **Method of data collection**—A notice will be issued by each Statistics Officer to the informants under his jurisdiction, indicating there in the data by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which infomation is required to be furnished. A statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions as may be specified by him in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected—**

(i) The owner or occupier of a unit [factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (No. 32 of 1996)] to whom notice would be issued by a Statistics Officer to furnish information about the unit.

(ii) A Statistics Officer may require owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under a single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as may be specified by him in the notice.

5. **Period during which collection of statistics may be completed**—The date for submission of information by each informant shall be mentioned in the notice and it would generally would be for a period between September 2012 and to June, 2013.

6. **Reference period**—Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2011 and ending on 31st March 2012 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2011 and on 31st March 2012.

7. **Nature of information to be collected**—The Information required as part-1 relates to assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by products, distributive expenses etc.

8. **Language in which information is to be furnished by informant**— An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

9. **Obligation of informant**—A owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

10. **Nature of business records and other records which may be inspected**—Business records of a unit such as balance sheet, profit & loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **The manner of inspection**—The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE—II

S. No.	Name and designation of Statistics Officer	Geographical Jurisdiction (State/UT)	Address of the Statistics Officer
1.	Mr. Mohan Singh Kanwar Assistant Director, Directorate of Economics and Statistics Chhattisgarh Raipur. Pin 492001	Chhattisgarh	F 3/6 209 G.A.D. Colony Kachna Raipur.

Note :—

1. The persons authorised by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a lette of authorisation issued by the concerned Statistics Officer.

2. The Statistics collected in part-I, in respect of the Annual Survey of Industries 2013-14, furnished by the informants, after due verification and scrutiny shall be processed by officials working at the

Office of the Deputy Director General, Central Statistics Officer (Industrial Statistics Wing), Kolkata.

3. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2013-14 shall be governed by the provisions under the Collecion of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-9/2013/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2008 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional) रूप से पैरा 2 से 10 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1	श्री मंगेश कारेकर	श्री डी. आर. कारेकार	एम.आई.जी.-15 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अघनपुर, जगदलपुर जिला, बस्तर छ.ग. पिनकोड-494005	अनारक्षित
2.	2	श्री सत्यदेव शर्मा	श्री योगेश्वर प्रसाद शर्मा	सत्यदेव शर्मा C/O श्री वाय.पी. शर्मा कपिल नगर सरकण्डा बिलासपुर, जिला बिलासपुर पिनकोड-495006	अनारक्षित
3.	3	श्री विजय कुमार हलवाई	श्री आनंदलाल हलवाई	ग्राम+पोस्ट तिलरेजा, व्हाया भैसमा, जिला कोरबा छ.ग. पिनकोड-495674	अनारक्षित
4.	4	सुश्री नीता दीक्षित	श्री सी.बी. दक्षित	ऋषि गैसेस के सामने आर्या कालोनी, तिफरा जिला-बिलासपुर, छ.ग.	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	5	श्री अभिषेक शर्मा	श्री दुर्गालाल शर्मा	परमशांति गंजपारा बेमेतरा, जिला-बेमेतरा, छ.ग. पिनकोड-491335	अनारक्षित
6.	6	श्री भुनेश्वर कुमार नायक	श्री सिद्धेश्वर सिंह नायक	S/O श्री सिद्धेश्वर सिंह नायक ग्राम-धौराभाठा, पोस्ट-कोटमी व्हाया-चंद्रपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. पिनकोड-495692	अ.पि.व.
7.	7	श्री आशीष तिवारी	श्री गोपाल प्रसाद तिवारी	S/O श्री गोपाल प्रसाद तिवारी आजाद नगर, सरजू बगीचा बिलासपुर छ.ग. पिनकोड-495001	अनारक्षित
8.	8	श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल	श्री बृजेन्द्र जायसवाल	ध्रुवेश कुमार जायसवाल C/O श्री बृजेन्द्र जायसवाल ग्राम-भफौली, पोस्ट-फरसा जिला-सरगुजा छ.ग. 497001	अ.पि.व.
9.	9	श्री विजय सिंह	श्री अत्तार सिंह	मकान नं.-1373 ई-31 गली नं.-2 प्रगति नगर, गोहाना रोड सोनीपत, हरियाणा पिनकोड-131001	अनारक्षित
10.	10	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	श्री कैलासचंद अग्रवाल	C/O मुकेश इलेक्ट्रीकल शॉप मेन रोड, बांकी मोगरा जिला-कोरबा छ.ग. पिनकोड-495447	अनारक्षित
11.	11	श्री नन्द किशोर चक्रधारी	श्री ओमप्रकाश चक्रधारी	शास्त्री वार्ड नं.-27 मायापुर, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा छ.ग. पिनकोड-497001	अनारक्षित
12.	12	श्री रोहित कुमार	श्री रामनाथ	S/O श्री रामनाथ साहू गांधी चौक, ग्राम-तर्रा, पोस्ट-सरसाबांधा, तह.-राजिम जिला-गरियाबंद, पिनकोड-493885	अ.पि.व.
13.	13	श्री पंकज कुमार	श्री हरिहर प्रसाद यादव	ग्राम-गनेशपुर, पोस्ट-सुखलालगंज, जिला-जौनपुर उ. प्र. पिनकोड-222137	अनारक्षित
14.	14	श्री सचिन शर्मा	डॉ. राकेश कुमार शर्मा	S/O डॉ. आर. के. शर्मा, 47 विनय नगर सेक्टर-2, ग्वालियर, म. प्र. पिनकोड-474012	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	15	श्री विजय कुमार पाण्डेय	श्री दामोदर प्रसाद पाण्डेय	ग्राम-कुरियारी, पोस्ट-गोधना व्हाया खरौद, जिला-जांजगीर-चाम्पा, छ.ग. पिनकोड-495556	अनारक्षित
16.	16	श्री दिलीप कुमार सिंह	श्री दुर्गा प्रताप सिंह	चितरंगी हाउस आई.टी.आई. के सामने, स्टेडियम रोड बोदा-बाग रीवा, म. प्र. पिनकोड-486001	अनारक्षित
17.	17	श्री शरद परसाई	श्री विनेश कुमार परसाई	C/o श्री मनोज परसाई, साकेत नगर पानी टंकी के पास, होशंगाबाद म. प्र. पिनकोड-461001	अनारक्षित
18.	18	श्री रमाकांत चंद्राकर	श्री लखनलाल चन्द्राकर	म. नं.-2/233 होम्योपैथिक कालेज के पास, रामकुण्ड पोस्ट-विवेकानंद आश्रम, रायपुर छ.ग. पिन-492001	अ.पि.व.
19.	19	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	श्री शिवपाल सिंह राठौर	कृषि मंडी के पीछे-पाटन, जिला-दुर्ग छ.ग. पिनकोड-491111	अनारक्षित
20.	20	श्री बजरंग बहादुर सिंह	स्व. श्री रामदत्त सिंह	ग्राम खेदापाली, पोस्ट-पुसल्दा, तह. धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छ.ग. पिनकोड-496665	अनारक्षित
21.	21	श्री योगेश कुमार शुक्ला	श्री शंकर प्रसाद शुक्ला	C/o श्री शंकर प्रसाद शुक्ला गायत्री मेडिकल के पास, मकान नं. 1119 वार्ड नं.-7 कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग छ.ग. पिनकोड-490023	अनारक्षित
22.	22	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल	स्व. श्री बाबूलाल जायसवाल	C/o किशन इंजीनियरिंग राजापारा सक्ति, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग. पिनकोड-495689	अ.पि.व.
23.	23	श्री मनोज कुमार साहू	श्री रामलाल साहू	ग्राम-करही, पोस्ट-किकिरदा व्हाया-बिर्रा, तह.-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग. पिनकोड-495661	अ.पि.व.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	24	श्री लक्ष्मीनारायण पटेल	श्री दामोदर पटेल	S/O श्री दामोदर पटेल ग्राम-चिखली माधोपाली तह. सारंगढ़, जिला-रायगढ़ छ.ग. पिनकोड-496445	अ.पि.व.
25.	25	श्री गजानंद कुमार पटेल	श्री सीताराम पटेल	गजानंद पटेल मु. पोस्ट-धुरकोट, थाना+तह.- डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. पिनकोड-495692	अ.पि.व.
26.	26	सुश्री जगबाई साहू	श्री टोपीलाल साहू	मु.पो.-जैजैपुर, तह.-जैजैपुर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. पिनकोड-495690	अ.पि.व.
27.	27	श्रीमती अनीता सिंह	श्री अनुपम सिंह	मधुबन रोड दयालबंध इंदिरा स्कूल के पीछे बिलासपुर छ.ग. पिनकोड-495001	अनारक्षित
28.	28	श्री चन्द्रमणी पटेल	श्री केशव प्रसाद पटेल	ग्राम-सांगीतराई, पोस्ट-छातामुड़ा, जिला-रायगढ़ छ.ग. पिनकोड-496004	अ.पि.व.
29.	29	सुश्री हेमकुमारी पटेल	श्री गणेशराम पटेल	C/o गणेशराम पटेल सेक्टर-2, गली नं. 02, शक्ति मंदिर के पास प्रोफेसर कालोनी रायपुर छ.ग. पिनकोड-492001	अ.पि.व.
30.	30	सुश्री शिम्मी नाहिद	मो. गाफिर खान	D/o मो. गाफिर खान चित्रमंदिर टॉकिज के पीछे जोड़ा पीपल, अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. पिन-497001	अनारक्षित
31.	31	सुश्री ममता मिश्रा	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	ईब्लूएस. 01 वैशाली नगर भिलाई, जिला-दुर्ग छ.ग.	अनारक्षित
32.	32	सुश्री मनीषा	श्री रमाकांत शर्मा	8/219 आनंद नगर नीम चौराहा बोदाबाग रीवा म. प्र. पिनकोड-486001	अनारक्षित
33.	33	सुश्री दीप्ति अग्रवाल	श्री पवन अग्रवाल	पवन ट्रेडर्स मेन रोड कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग. पिनकोड-495678.	अनारक्षित
34.	34	श्रीमती ज्योति सिंह	श्री दिनेश सिंह	W/o दिनेश सिंह, बावली कुआं ढागरडीपा, वार्ड नं.-02 शिवशीतला मंदिर के पीछे रायगढ़ छ.ग. पिनकोड-496001	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	35	सुश्री मंजू गोपाल	श्री लक्ष्मीनारायण गोपाल	C/o श्री रामेश्वर प्रसाद गोपाल कमलेश्वरम् पुरानी बस्ती सड़कपारा जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग. पिनकोड- 495668	अ.पि.व.
36.	36	सुश्री निर्मला साहू	श्री जैतराम साहू	जैतराम साहू वार्ड नं.-06 लालपुर, पोस्ट-बागबाहरा जिला-महासमुन्द छ.ग. पिनकोड-493449	अ.पि.व.
37.	37	श्री हितेश कुमार गौतम	स्व. श्री एस. पी. गौतम	प्रदुषण नियंत्रण कार्यालय के सामने चित्रकोट रोड पो.-धरमपुरा, जगदलपुर जिला-बस्तर, पिनकोड-494005	अ.जा.
38.	38	सुश्री ललिता पटेल	श्री अश्वनी पटेल	श्री अश्वनी पटेल महामाया मंदिर के पास वार्ड नं.-16 बेमेतरा, जिला-बेमेतरा छ.ग. पिनकोड-491335	अ.पि.व.
39.	39	श्री अजय कुमार साण्डे	श्री खेदुनाथ साण्डे	ग्राम-कंचनपुर, पोस्ट-टेरम तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ छ.ग.	अ.जा.
40.	40	श्री सतीश कुमार पाटल	श्री आत्माराम पाटले	ग्राम-सोढ़ार डाकघर-धरमपुरा तह.-मुंगेली, जिला-मुंगेली छ.ग. पिनकोड-495334	अ.जा.
41.	41	श्री सुबोध मिश्रा	स्व. श्री लालजी मिश्रा	C/o श्री रविन्द्र नंदा, बी.एस.एन.एल. टेलीफोन टॉवर के निकट, जोधापुर धमतरी, जिला-धमतरी छ.ग. पिनकोड-493773	अनारक्षित
42.	42	श्री प्रशांत कुमार खापर्डे	श्री बुटुराम खापर्डे	प्रशांत कुमार खापर्डे, ग्राम+पोस्ट-बड़ेधराउर (बाजारगारा) तह.-लोहण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर छ.ग. पिनकोड-494010	अ.जा.
43.	43	श्री चन्द्रशेखर जांगड़े	श्री बुलाकीदास जांगड़े	शक्ति धाम समिति के पास शताब्दी नगर रविग्राम तेलीबांधा, रायपुर छ.ग. पिनकोड-492006	अ.जा.
44.	44	श्री रामप्रसाद चौहान	श्री रतिराम चौहान	ग्राम-चिर्रामुड़ा, पोस्ट-बनई तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ छ.ग. पिनकोड-496111.	अ.जा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	45	श्री विकास सिंह ठाकुर	श्री विजय सिंह ठाकुर	कालिका नगर, ग्राम + पो.- तिफरा जिला-बिलासपुर छ.ग. पिनकोड-495223	अनारक्षित
46.	46	श्री गुडडूलाल जगत	श्री भागवत प्रसाद जगत	ग्राम+पो.- भटचौरा, तह.- मस्तूरी जिला-बिलासपुर छ.ग. पिनकोड-495551	अ.ज.जा.
47.	47	श्री भीष्म सोनी	श्री दीनानाथ सोनी	ग्राम+पोस्ट-बेलगहना, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर छ.ग. पिनकोड-495116	अ.पि.व.
48.	48	[illegible]	[illegible]	C/o श्री विनोद महाजन, संगीत महाविद्यालय के पीछे दयालबंद बिलासपुर, छ.ग. पिनकोड-495001	अ.जा.
49.	49			ग्राम+पोस्ट-गब्दी, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद छ.ग. पिनकोड-491225	अ.ज.जा.
50.	50			ग्राम-गुजरा, पोस्ट-डोमा, तहसील+जिला-धमतरी छ.ग. पिनकोड-493773	अ.ज.जा.
51.	51			नीतू बोरकर D/o श्री बी. आर. बोरकर, ग्राम-रामपुर, पोस्ट-जंगलपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	अ.जा.
52.	52			श्रीमती किरण खरे, आवास क्रमांक 178/1 रेल्वे इंजीनियरिंग कॉलोनी रायपुर छ.ग. पिनकोड-492001	अ.जा.
53.	53		दार	मु.+पो.-खर्री छोटे तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ छ.ग. पिनकोड-496445	अ.ज.जा.
54.	54		नेताम	राठौर वकील के मकान के सामने-लक्ष्मी नगर पचपेड़ी नाका, रायपुर, जिला-रायपुर छ.ग. पिनकोड-492001	अ.ज.जा.
55.	55		मसाय गुलेरी	ग्राम+पोस्ट- चोंगरीबहार, तहसील-कांसाबेल, जिला-जशपुर नगर छ.ग. पिनकोड-496223	अ.ज.जा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56.	56	श्री अनिल कुमार सिदार	श्री मोहनलाल सिदार	मु. पो.-फगुरम, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग.	अ.ज.जा.
57.	57	श्री जसपाल सिंह राज	श्री बाल सिंह	ग्राम-खोडरी, पोस्ट-रावा तहसील-पोड़ीउपरोड़ा, जिला-कोरबा छ.ग. पिनकोड-495445	अ.ज.जा.
58.	58	सुश्री श्रद्धा सुमन एक्का	श्री जेरोम प्रमोद एक्का	चर्च रोड़ सरगीपाल पारा कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव छ.ग. पिनकोड-494226	अ.ज.जा.
59.	59	सुश्री भारती कोर्राम	श्री एस. आर. कोर्राम	D/o श्री एस. आर. कोर्राम, ग्राम-उडमुड़ा, गायतापारा, पोस्ट-लखनपुरी, तहसील-चारामा, जिला-कांकेर छ.ग. पिनकोड-494336	अ.ज.जा.

2. (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण-पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी.

4. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 से शासित होंगे.

6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

9. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक शामिल होगा.

10. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

11. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-8-सा-6 में संशोधन प्रस्ताव

क्र. (1)	सारणी का क्रमांक (2)	भूमि उपयोग परिक्षेत्र (5)	सारणी के कालम-8-सा-6 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए (6)
1.	8-सा-6	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	8-सा-6	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	8-सा-6	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	8-सा-6	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
5.	8-सा-6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	8-सा-6	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

(1)	(2)	(5)	(6)
7.	8-सा-6	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	8-सा-6	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

डोंगरगढ़ विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-8-सा-6 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-8-सा-6 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(5)	(6)
1.	8-सा-6	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	8-सा-6	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	8-सा-6	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	8-सा-6	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
5.	8-सा-6	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	8-सा-6	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
7.	8-सा-6	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	8-सा-6	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण डोंगरगढ़ विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 **सन् 1973) की धारा** 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा धमतरी विकास योजना **में लोक प्रयोजनार्थ** निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी **:—**

धमतरी विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-7-सा-22 में संशोधन प्रस्ताव

क्र. (1)	सारणी का क्रमांक (2)	भूमि उपयोग परिक्षेत्र (5)	सारणी के कालम-7-सा-22 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए (6)
1.	7-सा-22	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	7-सा-22	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	7-सा-22	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	7-सा-22	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
5.	7-सा-22	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	7-सा-22	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
7.	7-सा-22	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	7-सा-22	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा धमतरी विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण धमतरी विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा कवर्धा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कवर्धा विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-7.18 में संशोधन प्रस्ताव

क्र. (1)	सारणी का क्रमांक (2)	भूमि उपयोग परिक्षेत्र (5)	सारणी के कालम-7.18 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए (6)
1.	7.18	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

(1)	(2)	(5)	(6)
2.	7.18	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	7.18	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	7.18	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
5.	7.18	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	7.18	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
7.	7.18	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	7.18	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कवर्धा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कवर्धा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-31/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 04-5-2012 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी.

राजनांदगांव विकास योजना में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पेण्ड्री प.ह.नं. 23	738/1 का भाग	20.00 एकड़	औद्योगिक	शैक्षणिक (एकलव्य आवासीय विद्यालय)

2. उक्त उपांतरण एकलव्य आवासीय विद्यालय हेतु आवासीय के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-04-सा-22 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-04-सा-22 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(5)	(6)
1.	04-सा-22	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	04-सा-22	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	04-सा-22	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	04-सा-22	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
5.	04-सा-22	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	04-सा-22	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
7.	04-सा-22	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	04-सा-22	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 17-18/2013/20-एक.—नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबन्धों के अधीन बनाये गये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 नवम्बर 2010 के नियम-6 के (4) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के क्रमश: नारायणपुर, कांकेर, बेमेतरा एवं दुर्ग जिले के निम्नलिखित कॉलम नं. 4 में अंकित प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों को कॉलम नं. 3 में अंकित बसाहट के पड़ोस हेतु अधिसूचित करता है :—

क्र.	जिला	बसाहट का नाम	संबंधित प्राथमिक/माध्यमिक शाला का नाम	बच्चों की संख्या		बसाहट से दूरी	
				प्राथ.	पूर्व माध्य.	प्राथमिक	पूर्व माध्य.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ (1)	बेमेतरा	डोकला	पूर्व माध्य. शाला, डोकला	0	10		2 Km
		लालपुर	पूर्व माध्य. शाला, लालपुर	0	13		2 Km
			कुल	**0**	**23**		
अ (2)	दुर्ग	सेक्टर-9	प्राथ. शाला, सेक्टर-9	17	0	2 Km	
		सेक्टर-6	प्राथ. शाला, सेक्टर-6	23	0	1.5 Km	
		स्टेशन मरौदा	प्राथ. शाला, स्टेशन मरौदा	24	0	2 Km	
		रेल्वे लाईन	प्राथ. शाला, रेल्वे लाईन	12	0	2 Km	
		उरला बाम्बे आवास	प्राथ. शाला, उरला बाम्बे आवास	7	0	1.5 Km	
		जोगी नगर	प्राथ. शाला, जोगी नगर	32	0	1.5 Km	
		विजय नगर	प्राथ. शाला, विजय नगर	27	0	2 Km	
			कुल	**142**	**0**		
अ (3)	कांकेर	नाकापारा, चारामा	प्राथ. शाला, नाकापारा, चारामा	10	0	0.5 Km	
		बाजार पारा, चारामा	प्राथ. शाला, बाजारपारा, चारामा	13	0	0.5 Km	
		जयसकर्रा	प्राथ. शाला, जयसकर्रा	6	0	0.5 Km	
		भाटापारा	प्राथ. शाला, भाटापारा	7	0	0.5 Km	
		अतुरगांव	प्राथ. शाला, अतुरगांव	11	0	0.5 Km	
		सिंगारभाट	प्राथ. शाला, सिंगारभाट	18	0	0.5 Km	
		नंदनमारा	प्राथ. शाला, नंदनमारा	5	0	0.5 Km	
		जनकपुर वार्ड	प्राथ. शाला, जनकपुर वार्ड	35	0	0.5 Km	
		झुनियापारा	प्राथ. शाला, झुनियापारा	21	0	0.5 Km	
		आमापारा	प्राथ. शाला, आमापारा	12	0	0.5 Km	
		लाटीपारा	प्राथ. शाला, लाटीपारा	15	0	0.5 Km	
		माहुरबंद पारा	प्राथ. शाला, माहुरबंद पारा	21	0	0.5 Km	
		राईसमिल पारा	प्राथ. शाला, राईसमिल पारा	8	0	0.3 Km	
			कुल	**182**	**0**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ब (1)	नारायणपुर	ब्रेहबेड़ा	प्राथ./पूर्व माध्य., ब्रेहबेड़ा	58	88	3 Km	5 Km
		पुसगांव	प्राथ./पूर्व माध्य., पुसगांव	41	62	3 Km	4 Km
		सकरीबेड़ा	प्राथ./पूर्व माध्य., सकरीबेड़ा	21	62	2 Km	3 Km
		तेलसी	प्राथ./पूर्व माध्य., तेलसी	42	71	8 Km	9 Km
		गुरिया	प्राथ./पूर्व माध्य., गुरिया	23	53	9 Km	10 Km
		करलाखा	प्राथ./पूर्व माध्य., करलाखा	42	65	10 Km	12 Km
		बिजली	प्राथ./पूर्व माध्य., बिजली	32	72	17 Km	20 Km
		महका	प्राथ./पूर्व माध्य., महका	50	52	5 Km	7 Km
		पालकी	प्राथ./पूर्व माध्य., पालकी	51	99	6 Km	8 Km
		नारायणपुर	प्राथ./पूर्व माध्य., नारायणपुर	40	76	4 Km	6 Km
			कुल	**400**	**700**		

(अ) (1) (2), (3) से संबंधित शालाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण संबंधित बसाहटों के बच्चों को मार्गरक्षी (Escort) सुविधा उपलब्ध होगी.

(ब) (1) से संबंधित शालाएं 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने से इन बसाहटों के बच्चों को परिवहन (Transport) की सुविधा उपलब्ध होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक 8329/2542/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पूरन राम राजवाड़े, अधिवक्ता, प्रतापपुर नवीन राजस्व जिला-सूरजपुर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें प्रतापपुर नवीन राजस्व जिला-सूरजपुर (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सांवत, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 5537/तक. 82/परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67, 96 एवं 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन) छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर (कक्ष क्रमांक एस-4/10) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 70-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"70-ख. **प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के समय-चक्र के विनियमन हेतु.—**

(1) **आवश्यकता**-धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी मार्ग पर नवीन प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र की स्वीकृति संबंधी अथवा विद्यमान अनुज्ञा पत्र के समय-चक्र के परिवर्तन के लिये अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, आवेदन पत्र के अवधारण एवं उस पर विचार करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देगा :—

(अ) यात्रा कर रहे लोगों को लाभ एवं सुविधा उपलब्ध कराना;

(ब) अन्य मार्ग के संचालकों के समय-चक्र अन्तराल और मार्ग पर समय-चक्र टकराव;

(स) प्रक्रम वाहन सेवा की गति, कम दूरी अथवा लम्बी दूरी की सेवा की आवश्यकता अर्थात् 100 कि.मी. के लिए, 200 कि.मी. के लिए अथवा 200 कि.मी. से अधिक के लिए पर विचार;

(द) आवेदित समय-चक्र पर मार्ग के दोनों छोरों के बीच समय-चक्र की आवश्यकता एवं आवेदित समय-चक्र यातायात के भीड़भाड़ वाले समय अथवा कम भीड़भाड़ वाले समय में और विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के यात्रा कर रहे लोगों को उससे लाभ पर विचार तथा "साधारण सेवा" अथवा "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" की आवश्यकता पर भी विचार;

(ई) मार्ग तथा रेल परिवहन को जोड़ने के लिए समुचित समय-चक्र एवं मार्ग पर पर्यटक स्थलों, धार्मिक अथवा औद्योगिक नगरों इत्यादि के बीच जोड़ने की आवश्यकता;

(प) समय-चक्र के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय/प्राधिकारी के मार्गदर्शी सिद्धान्त; और

(फ) विद्यमान बस संचालकों की आपत्तियों तथा जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों इत्यादि द्वारा की गई मांगों तथा दिये गये सुझावों पर विचार.

(2) **आवृत्ति का निर्धारण.—**

(एक) मुकदमेबाजी, विवाद एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बिना मार्गों पर बस सेवाओं के सामान्य संचालन के लिए तथा समय-चक्र के बीच समुचित अन्तराल बनाये रखने के लिए, यह आवश्यक है कि उन पर अनुशासन बना रहे. इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी,

प्रत्येक क्षेत्रीय अथवा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर आवृत्ति (आ...ि से तात्पर्य मार्ग पर दो सेवाओं के बीच समय-चक्र का अन्तराल है) निर्धारित करेगा. सुबह से रात्रि में 11.00 बजे के बीच आवृत्ति अवधारित करने के लिए, ऐसा प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा—

(अ) उप-नियम (2) में उल्लिखित अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त;

(ब) विशिष्ट मार्ग पर यातायात के व्यस्त घंटों एवं यातायात के न्यून घंटों के दौरान सेवा की आवश्यकता;

(स) कोई अन्य संबंधित विषय, जिन पर प्राधिकारी विचार करना चाहे.

(दो) खण्ड (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी मार्ग को यातायात के घनत्व (सघनता) के आधार पर विभक्त करेगा—

(अ) **उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग**— अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर प्रक्रम वाहनों की संख्या अधिक संख्या में, जो बहुत ही कम अन्तराल पर अर्थात् शून्य से 10 मिनट के अन्तराल पर संचालित हैं एवं उस पर यातायात का भार अधिक है.

(ब) **मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग**—अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर मध्यम स्तर का यातायात हो और जिन पर प्रक्रम वाहन 15 से 30 मिनट के अन्तराल में सामान्य रूप से संचालित हो रहे हों.

(स) **न्यूनतम घनत्व वाले यातायात के मार्ग**—अर्थात् ऐसे मार्ग, जो उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग में न तो सम्मिलित हैं और न ही मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग में सम्मिलित हैं.

टीप— इस खण्ड के प्रयोजन हेतु "सड़क" से अभिप्रेत है एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक का राजमार्ग, जैसा कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, जिस पर अनेक विभिन्न मार्ग ऊपर से होकर अथवा अन्यथा निकलते हैं.

(3) **समय-चक्र के संबंध में प्रक्रम वाहनों की गति.**—अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा सामान्य समय-चक्र निर्धारित करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुज्ञापत्र पर संचालित प्रक्रम वाहन की गति निम्नानुसार होगी—

(एक) साधारण प्रक्रम वाहन—35 कि.मी. प्रति घंटा;

(दो) साधारण एक्सप्रेस प्रक्रम वाहन—40 कि.मी. प्रति घंटा;

(तीन) डीलक्स बस—45 कि.मी. प्रति घंटा;

(चार) डीलक्स एक्सप्रेस बस—50 कि.मी. प्रति घंटा; तथा

(पांच) रात्रिकालीन बस सेवा—55 कि.मी. प्रति घंटा.

(4) **प्रक्रम वाहनों के लिए विराम स्थल एवं रूकने का समय.**—

(एक) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रत्येक प्रक्रम वाहन के मार्ग पर, अन्य मार्ग, जिन पर वाहन आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अथवा अन्यथा ऊपर से गुजरता है, ऐसे मार्ग पर स्वीकृत अथवा स्वीकृत होने वाले समस्त अनुज्ञापत्रों पर सामान्य विराम स्थल और उनके रूकने का समय निर्धारित करेगा. ऐसे विराम स्थल और रूकने का समय पृथक रूप से सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिये निर्धारित किया जा सकेगा, जैसे "साधारण सेवा" अथवा "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि.

(दो) प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण के प्रत्येक आदेश में, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशिष्ट रूप से सेवा का प्रकार इंगित करेगा, जैसे "साधारण सेवा" अथवा "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि और ऐसे मार्ग के बीच के विराम स्थल उपरोक्त खण्ड (एक) में निर्धारित किये गये विराम स्थल एवं रूकने वाले समय से भिन्न नहीं होंगे.

(तीन) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, जब मार्ग का समय-चक्र अवधारित करे, तो निम्नानुसार विराम स्थल में रूकने का समय मार्ग के बीच के स्थानों के लिए निर्धारित करेगा :—

मार्ग के बीच के स्थानों के लिये प्रक्रम वाहन	साधारण	एक्सप्रेस/डीलक्स
(क) जिला मुख्यालय	10 मिनट	05 मिनट
(ख) तहसील मुख्यालय	05 मिनट	03 मिनट
(ग) अन्य कस्बे, जिनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक नहीं है	03 मिनट	02 मिनट
(घ) ग्राम	01 मिनट	निरंक

परन्तु यह कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष प्रकरणों में, मार्ग में पड़ने वाले औद्योगिक नगर, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल अथवा अन्यथा आदेश में ऐसे परिवर्तनों के कारण दर्शाते हुए, परिवर्तन कर सकेगा, जो ऐसे मार्ग की समस्त सेवाओं पर लागू होंगे.

(चार) खण्ड (तीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रात्रिकालीन सेवा, जो 200 कि.मी. से अधिक एक ओर संचालित हो रही है, उसके विराम स्थल के रूकने का समय, मार्ग के बीच के जिला मुख्यालय के लिए 05 मिनट और भोजन के लिए किसी ढाबे अथवा हॉटल पर 15 मिनट होगा.

(पांच) उपरोक्त खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अन्तर्राज्यीय मार्ग का समय-चक्र, छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पारस्परिक यातायात समझौते के उपबंधों के द्वारा संचालित होगा. तथापि विराम स्थल और वहां रूकने का समय, उप-नियम (6) के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकेगा.

(छ:) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन माह के अंदर उप-नियम (6) के उपबंधों का पालन करेगा.

(5) **समय-चक्र के अवधारण करने हेतु प्रक्रिया.—**

(एक) धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रक्रम वाहन के अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के संबंध में अथवा उसके समय-चक्र के परिवर्तन का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे प्रकाशन से सात दिन के भीतर कोई अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिए कार्यालयीन सूचना पटल पर सुनवाई की तारीख सहित ऐसे आवेदन पत्र का सारांश प्रकाशित करेगा.

(दो) सुनवाई की निर्धारित तारीख पर, किसी अभ्यावेदन सहित आवेदन पत्र पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में विचार किया जाएगा.

(तीन) प्रत्येक अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार मार्गवार समय-चक्र सूची कम्प्यूटरीकरण सहित संधारित करेगा.

(चार) इस नियम के उपबंधों पर विचार करते हुए, नियम 74 के उप-नियम (4) द्वारा निर्धारित समय-सीमा में समुचित आदेश पारित किया जायेगा.

(6) **राज्य शासन की शक्तियां.—**

(क) नियम 70-क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और लगातार हो रही बस दुर्घटनाओं, यात्रियों की ओव्हर लोडिंग, समय-चक्र के अन्तराल के कम होने संबंधी, मार्ग संचालकों के बीच हो रहे झगड़ों अथवा अन्य कोई संबंधित विषय, जैसे कि यात्रियों को अच्छी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता, महिला यात्रियों की सुरक्षा, कम बैठक क्षमता वाली यात्री प्रक्रम सेवाओं आदि के

कारण राज्य शासन, इस नियम के उप-नियम (4) में उल्लिखित उच्च घनत्व क्षमता वाले यातायात मार्ग पर वैध अनुज्ञापत्र के अधीन संचालित होने वाली यात्री बसों में उच्चतर बैठक क्षमता, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा. ऐसी पंजीकृत बैठक क्षमता "साधारण सेवा" के संबंध में 50 सीट से कम नहीं होगी और "डीलक्स सेवा" के संबंध में 40 सीट से कम नहीं होगी. राज्य शासन द्वारा छः माह का समय ऐसे अधिसूचित मार्गों पर संचालित हो रहे वाहन के प्रतिस्थापन के लिए दिया जा सकेगा.

(ख) राज्य शासन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आदेश द्वारा, विशिष्ट मार्ग के संबंध में ऊपर दी गई कोई चूक या किसी भी शर्त से, लिखित में कारण बताते हुए छूट दे सकेगा."

No. 5537/तक. 82/परि./2013.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 67, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, Transport Department, Mahanadi Bhawan, Capital Copmlex, Mantralaya, Naya Raipur (Room No. S-4/10) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. After rule 70-A, the following shall be added, namely :—

"70-B. For Regulating Timing of Stage Carriage Permit.—

(1) **Necessity**— Subject to the provision of Section 71, for consideration and determination of time cycle on any route regarding grant of application of new Stage Carriage permit or for the change of time cycle of existing permit, the Permit Granting Authority, at the time of consideration and determination of application shall pay special attention to the following points :—

(a) Providing benefit and facility to travelling public;

(b) Time cycle interlude and time cycle clash on route to operators of other route;

(c) Consideration of speed of Stage Carriage services, need of service for short distance or long distance, namely up to 100 Kms. up to 200 Kms. or more than 200 Kms.;

(d) Consideration of necessity of timings between two terminals of the route on the applied timings and whether the applied timings falls in rush hours of traffic or slack hours, benefit to travelling public particularly to remote rural areas and back-ward areas, etc. and also the necessity of "Ordinary Service" or "Express Service" or "Deluxe Service" thereon;

(e) Necessity of appropriate timings for co-ordination of road and rail transport and connectivity between Tourists places, religious or industrial towns etc, on the route;

(f) Guidelines of superior court/authority in respect of timings; and

(g) Consideration of objections of existing bus operators and demand and suggestions from the public, NGOs, public re-preventatives etc.

(2) **Fixation of frequency.—**

(i) For the smooth operation of bus services on routes without litigation, quarrel and un-healthy competition, and for proper interlude of time cycle, it is necessary to maintain discipline there on. In order to achieve this objective, the Permit Granting Authority shall fix the frequency (frequency means interval of timings between two services on a route) of each Regional or Inter-regional route. For determine the frequency between dawn to eleven o'clock in the night, such authority shall pay attention to the following—

(a) Guidelines as mentioned in sub-rule (2);

(b) Necessity of service during peak hours of traffic and lean hours of traffic on a particular route; and

(c) Any other relevant matters that the Authority desires to consider.

(ii) Subject to the provision of clause (1), the Permit Granting Authority shall categorize the road on the basis of density of traffic—

(a) **High density traffic road**—means such road on which the number of Stage Carriages are running in large number with close interlude of zero to ten minutes and passenger traffic load is very high.

(b) **Medium density traffic road**— means such road which has medium traffic and on which the number of Stage Carriages are running normally with a gap of 15 to 30 minutes.

(c) **Low density traffic road**— means such road which are neither High density traffic road nor Midum density traffic road.

Note— "Road" for the purpose of this clause, means any high-way from one point to another as considered necessary by the Permit Granting Authority on which several different routes overlap or otherwise.

(3) **Speed of Stage Carriages regarding time cycle.**— Subject to the provision of Section 112 of the Act and for fixation of common timings the speed of Stage Carriage running on a permit in Chhattisgarh State shall be as under—

(i) Ordinary Stage Carriage-35 kms. per hour;
(ii) Ordinary Express Stage Carriage-40 kms. per hours;
(iii) Deluxe bus-45 kms. per hour;
(iv) Deluxe Express bus-50 kms. per hours; and
(v) Night Service bus-55 kms. per hour.

(4) **Stoppages and halting time for stage carriages.—**

(i) On every stage carriage route, on which other route overlap partly or fully or otherwise the Permit Granting Authority shall fix the common stoppages and there halting times of all permits granted or to be granted on such route. Such stoppages and halting times may be separately fixed for different types of services i.e. "Ordinary Service" or "Express Service" or "Deluxe Service" etc.

(ii) In every order of grant or renewal of stage carriage permit, the Permit Granting Authority, shall specifically indicate the type of service i.e. "Ordinary Service" or "Express Service" or "Deluxe Service" etc. and en-route stoppages, of such route, which shall not be varied from the stoppages and halting times fixed under clause (i) above.

(iii) Permit Granting Authority, while determining route timings shall allot the stoppages halting times of en-route stations as follows :—

Stage Carriers for en-route	Ordinary	Express/Deluxe
(a) District Head Quarters	10 minutes	05 minutes
(b) Tehsil Head Quarters	05 minutes	03 minutes
(c) Other towns, the population of which is less than ten thousand.	03 minutes	02 minutes
(d) Villages	01 minutes	Nil

Provided that Permit Granting Authority may vary timings, in particulars cases, of industrial town, religious place, tourist place or otherwise falling on the route, giving reasons for such variation in the order, which shall apply to all services on such route.

(iv) Notwithstanding anything contained in clause (iii), the stoppage timings of halting stations of a night service running more that 200 kms one side, shall be 5 minutes at enroute district head quarters and 15 minutes for meal-break at any Dhaba or hotel.

(v) Notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, timings of Inter-State route shall be governed by the provisions of particular Reciprocal Transport Agreement, with the State of Chhattisgarh. However stoppage and halting times may be fixed under sub-rule (6).

(vi) The Permit Granting Authority shall comply with the provisions of sub-rule (6) within three months from the date of coming into force of these rules.

(5) **Procedure for determination of time cycle.—**

(i) Subject to the provisions of Section 71, Permit Granting Authority on receipt of an application in respect of grant of Stage carriage permit or change of timings thereof shall publish the summary of such application on office notice board along with date of hearing, for inviting any representation within seven days from such publication.

(ii) On the appointed date of hearing, the application along with any representation shall be considered by such Authority, in the presence of both the parties.

(iii) Every Permit Granting Authority shall maintain a computerized route-wise chart of time cycle according to the provisions of this rule.

(iv) Appropriate order shall be passed considering the provisions of this rule, within time limit fixed by sub-rule (4) of rule 74.

(6) **Powers of the State Government.—**

(a) Notwithstanding anything contained in rule 70-A, and considering the frequent bus accidents, overloading of passengers, quarrel between route operators regarding shortage of interlude of time cycle or any other relevant matters such as need to provide better and comfortable services to passengers, safety of women passengers, Statge Carriage Services of Lower seating capacity etc., the State Government may by order fix the higher carrying capacity of buses plying on high density traffic road mentioned in sub-rule (4) of this rule, under a valid permit. Such registered carrying capacity shall not be less than 50 seats in respect of "Ordinary Services" and not less than 40 seats in respect of "Deluxe services". Time of six months may be allowed by the State Government for replacement of operating vehicles on such notified routes.

(b) The State Government may grant relaxation, partially or completely by order, in respect of particular route from one or any of the above conditions, giving reasons in writing."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. के. राठौर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक 13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लिटियासरई प.ह.नं. 25	3.893	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेण्ड्रारोड जि. बिलासपुर (छ.ग.)	लिटियासरई जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हरदीकला टोना प.ह.नं. 03	0.48	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बसिया (कोरमी) एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खपराखोल प.ह.नं. 03	0.45	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	खपराखोल एनीकट निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सारधा प.ह.नं. 06	0.71	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	सारधा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी प.ह.नं. 31	2.37	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामअवतार जलाशय के फीडर चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला प.ह.नं. 32	5.68	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामअवतार जलाशय फीडर चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घरजियांबथान, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.789 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	842/1ख	0.182
	831/1	0.405
	790/8	0.352
	824/1	0.195
	790/6	0.202
	861/2	0.040
	824/3	0.195
	790/10	0.202
	823/1ख	0.016
योग	9	1.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियांबथान जलाशय के डूबान का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-लोकेर, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.794 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
593	0.062
561	0.048
596	0.204
489	0.144
550	0.104
365	0.134
592	0.428
478	0.008
572	0.130
481	0.224
491	0.084
594/1	0.108
360	0.170
580/1	0.204
493	0.174
580/2	0.024
594/2	0.004
476	0.382
570	0.148
465	0.320
552	0.062
551	0.202
492	0.008
595	0.204
474	0.604

	(1)	(2)
	480	0.192
	603	0.068
	560	0.424
	488	0.008
	367	0.268
	562	0.128
	490	0.142
	600	0.380
योग	33	5.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरबहार, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.602 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	108	0.028
	149/2	0.061
	169	0.053
	230	0.053
	242/2	0.024
	249	0.085
	262/1	0.040
	683	0.073
	691	0.073
	248/1	0.049
	110	0.057
	148	0.040
	231	0.053
	229	0.040
	242/3	0.024
	260	0.073
	319/2	0.170
	685	0.012
	695	0.129
	248/2	0.032
	147	0.061
	170	0.081
	232	0.008
	242/1	0.028
	242/4	0.045
	699	0.032
	682	0.113
	681	0.004
	700	0.061
योग	29	1.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियांबथान जलाशय के टेल माइनर नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेकनेरा, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.966 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400/8	0.607
400/9	1.619
400/10	0.931
400/12	0.809
योग	3.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना डुबान क्षेत्र का भू-अर्जन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-कमेला, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/5	0.202
161/3	0.202
योग	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना डुबान क्षेत्र का भू-अर्जन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-फरसगांव
(ग) नगर/ग्राम-हिर्री, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
50/23, 45, 46	0.32
35/4ख, 37, 39, 44, 50/22क	0.62
50/35, 50/48, 50/53	0.56
50/31, 48/2, 50/7	0.75
50/2ख/1	0.15
50/68 क	0.10
35/4ग/4	0.22
50/2/ख/3	0.17

(1)	(2)
50/2ख/2	0.17
50/66	0.15
35/2 ग/1, 36/2	0.25
50/24, 50/64	0,42
35/4ग/5	0.10
योग	3.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गोड़मा नाला सेतु कि.मी. 5/2 हिर्री-सिंगारपुरी मार्ग पर वृहद पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. धुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक/592/प्र.क्र. 6 अ-82/2011-12.---चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-खर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
694	0.50
701	0.08
1343	0.45
1305	0.09
योग 4	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भनसुली डायवर्सन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक 333/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केन्द्री, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
600/3	0.032
601/2	0.050
602/4	0.044

(1)	(2)
603/1	0.058
604/1, 604/2	0.027
604/3	0.161
607/3, 608/3	0.619
608/1, 608/4	0.170
608/6	0.069
609	0.040
610	0.040
611	0.134
612/1	0.045
612/2	0.045
613	0.097
614/1-2	0.186
615/1	0.194
615/3	0.102
615/4	0.137
616/1	0.109
618/1	0.032
619/1	0.259
620	0.029
621/3	0.036
623/1	0.028
624/1	0.036
625	0.077
634	0.174
635/1	0.162
636/1	0.109
636/2	0.166
639/3, 643/3	0.106
641	0.032
642/1	0.073
644/1	0.125
644/2	0.084
645	0.036
647	0.036
649/1	0.028
649/2	0.028
654/1	0.146
654/2	0.073
655/1	0.061
656/1	0.061
656/2	0.060
658	0.615
665/1	0.085
665/2	0.085
666	0.202
668, 669	0.210
670/1, 670/2	0.125

(1)	(2)
671/1, 671/2	0.081
672/1	0.032
672/2	0.036
673/1	0.105
674	0.458
675/1	0.040
675/2	0.040
676	0.304
677/1	0.045
677/2	0.045
678	0.040
679	0.065
681/1	0.024
681/2	0.024
682	0.135
689/1	0.845
691/1	0.328
692/1	0.384
693/2	0.029
694/2	0.251
695/1	0.149
695/2	0.405
695/3	0.149
696/1	0.271
696/2	0.089
696/3	0.178
698/1	0.380
698/3	0.202
698/4	0.202
699/3	0.325
699/4, 714/1	0.170
699/6	0.102
699/10, 714/5	0.260
699/16, 714/9	0.270
699/28, 714/16, 699/27	0.048
699/29, 714/16	0.024
699/31, 714/18	0.045
708/1	0.012
708/3	0.109
710/1	0.110
710/2	0.198
710/4	0.312
710/5	0.202
710/7	0.263
711/1, 724/1	0.308
711/2, 724/2	0.344

(1)	(2)
711/3, 724/3	0.215
712/2	0.049
713/2	0.109
713/3	0.162
715/2	0.082
715/6	0.022
715/7	0.022
716/1	0.010
716/3	0.093
716/4	0.087
716/5	0.046
716/6	0.108
717/5, 718/5	0.046
717/3	0.091
717/4	0.093
718/1	0.113
718/3	0.006
719/1	0.259
719/3	0.162
721	0.360
720/1, 2, 3, 4, 5	0.512
722/1	0.243
723/2	0.080
723/3	0.092
723/4	0.200
723/5	0.204
725/2	0.231
725/4	0.142
726/1	1.103
726/3	0.195
726/4	0.073
727/1	0.210
727/3	0.102
727/4	0.048
728/1	0.113
728/3	0.162
728/4	0.085
729/3	0.037
729/4	0.037
729/5	0.093
729/6	0.093
730/1	0.239
730/4	0.130
731/1, 732/1	0.655
747/3	
731/3, 732/3, 747/11	0.020
731/5, 732/5, 747/13	0.118
733/1	0.441
733/3	0.206
734/1	0.485
734/2	0.526
735/4	0.154
735/5	0.235
735/6	0.097
736/2	0.089
736/3	0.162
736/4	0.077
736/5	0.045
736/6	0.145
736/7	0.089
736/8	0.024
736/12	0.113
736/13	0.089
736/14	0.101
736/15	0.061
736/16	0.040
736/18	0.129
736/19	0.045
736/20	0.052
736/21	0.061
736/22	0.036
737/1, 738/1	0.886
741/1	0.364
741/2	0.020
741/3	0.040
741/4	0.218
741/5	0.053
742/1	0.870
742/2	0.142
742/3	0.142
742/4	0.547
743/1	0.926
743/2	0.372
744/1	0.129
744/2	0.126
745	0.251
747/2	0.324
750	0.421
751	0.138
752/1	0.045
752/2	0.044
752/3	0.089
753	0.138
754/1	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
754/2	0.069	782/3	0.146
755	0.089	782/4	0.146
757	0.405	783/1	0.016
758/2	0.162	783/2	0.028
759/1	0.032	784/1	0.049
759/2	0.032	784/2	0.049
759/3	0.032	785	0.040
759/4	0.032	786/1, 786/2	0.081
760/2	0.142	787	0.397
760/3, 760/6	0.170	788	0.304
760/4	0.049	789/1	0.077
760/5	0.049	789/2	0.065
760/7	0.360	789/3	0.032
760/8, 760/9	0.174	790/1	0.057
761	0.138	790/3	0.057
762/1	0.069	791/1	0.085
762/2	0.036	791/2	0.085
762/3	0.036	793/1	0.097
763	0.312	793/3	0.045
764/1	0.113	794/1	0.028
764/2	0.117	794/2	0.029
764/3	0.117	795	0.109
765/1	0.089	796	0.057
765/2	0.040	797	0.287
765/3	0.036	798/1	0.299
767/1	0.279	798/2	0.304
767/2	0.138	799	0.158
768	0.223	800/1	0.040
769/1	0.231	800/2	0.040
769/2	0.227	800/3	0.040
770	0.065	801/1	0.028
771/1	0.021	801/2	0.024
771/2	0.021	801/3	0.053
771/3	0.021	802	0.077
771/4	0.021	803/1, 803/2	0.077
771/5	0.021	804/1	0.142
771/6	0.023	804/2	0.121
772	0.134	806/1	0.138
774	0.214	806/2	0.142
776	0.065	808	0.324
777	0.328	809/1	0.069
778	0.125	809/3	0.065
779	0.097	810/1	0.448
781/1	0.057	810/2	0.458
781/2	0.053	811/1	0.045
782/1	0.057	811/2	0.024
782/2	0.146		

(1)	(2)
811/3	0.020
812/1	0.166
812/2	0.166
813/1	0.170
813/2	0.085
814/1	0.040
814/2	0.045
814/3	0.040
815	0.129
816	0.121
817	0.109
818	0.073
819/1	0.312
819/2, 819/4	0.466
819/3	0.470
820	0.320
821/1-2	0.324
822	0.061
823/1-2	0.190
824	0.113
825	0.077
826/1	0.239
827/1	0.239
827/2	0.239
827/3	0.202
828/1	0.049
828/2	0.526
829/1	0.186
829/2	0.040
829/3	0.081
829/4	0.040
830/1	0.134
830/2	0.065
830/3	0.065
831/1	0.308
831/2	0.312
832/1	0.150
832/2	0.154
832/3	0.154
832/4	0.454
833/1	0.139
833/2	0.134
833/3	0.138
834	0.450
835/1	0.413
835/2	0.178
835/5	0.195
योग 328	51.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

प्र. क्र. 11 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मालाडांड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
76/2	0.11
312/2	0.15
313/1	0.08
212/3	0.45
194/5	0.52
696/1च	0.45

(1)		(2)
	313/4	0.07
योग	7	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुजरनाला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लखराम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.71 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
13/1	0.06
13/2	0.06
12	0.12
87	0.22
11	0.20
36, 37, 38, 39	0.20
35	0.05
60/1	0.08
34	0.05
61	0.10
63, 64, 65	0.14
66	0.10
60/2	0.12
105/1	0.33
115/1	0.10
88/1, 88/2	0.28
115/2	0.16
136/1	0.15
136/2	0.10
94/3	0.22
107, 35/1	0.20
359/2	0.19
361/2	0.17
405	0.25
406	0.22
402/1	0.05
402/2	0.12
418	0.25
421/1	0.10
421/2	0.17
421/4	0.15
422	0.10
415	0.05
445	0.20
465	0.12
449	0.01
450	0.41
448/1	0.01
448/2	0.03
448/3	0.05
451/1	0.01
461	0.01
योग	5.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिलासपुर
(ग) नगर/ग्राम-सिंघरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	43/1	0.23
योग	1	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिलासपुर
(ग) नगर/ग्राम-भरवीडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	624	0.12
	587/1	0.15
	587/2	0.15
	587/9	0.04
	586/2	0.15
	539/2	0.11
	540/2	0.05
	538/2	0.30
योग	8	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखराम (चोरहा देवरी) जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

प्र. क्र. 10 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	346/1	0.09
	269/6	0.03
	270/7	0.10
योग		0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोन एनीकट योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

प्र. क्र. 12 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-ऐठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	13/1	0.45
	28/2	0.11
	26/1	0.25
	53/1ध	0.50
योग	4	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुजरनाला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	100	0.12
	101	0.21
	98	0.20
	99	0.12
	102/1	0.16
	245	0.05
	102/2	0.30
	105	0.18
	103/3	0.07
	103/1	0.09
	57/1	0.06
	57/2	0.06
	57/3	0.07
	104	0.07
	103/2	0.24
	79	0.11
	75	0.06
	80/1	0.21
	80/2	0.02
	70	0.12
	571	0.12
	74	0.03
	63/2	0.15
	63/1	0.15
	72	0.02
	62	0.28
	60	0.16
	61	0.06
	59	0.11
योग		3.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलदहा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/वर्ष 2011-12.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-चुमकवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
80/1	0.04
81	0.37
96	0.34
93	0.36
98	0.06
97	0.24
95/1	0.03
95/2	0.02
94	0.27
107	0.77
108/1	0.18
309	0.06
310	0.14
378/1	0.04
378/2	0.30
377	0.41
380	0.06
374/1	0.31
399	0.07
418	0.05
419	0.31
417	0.02
428	0.13
416	0.08
477	0.15
429	0.28
431	0.49
495	0.19
432/1	0.07
490	0.14
514/1	0.38
514/2	0.02
510	0.07
513	0.25
512	0.30
571	0.04
511	0.07
493	0.26
494	0.02
572/1	0.49
572/2	0.05
507/1	0.47
504	0.05
502	0.09
507/2	0.03
491	0.39
503	0.34
487	0.14
499	0.04
478	0.06
618	0.16
619/1	0.06
619/2	0.35
619/3	0.60
623	0.23
622	0.31
योग	11.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलदहा व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-गोंदईया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
147	0.21
148/2	0.39
148/1क	0.41
182/1	0.01
544/2	0.02
140/1	0.31
140/4	0.26
492	0.19
140/6	0.12
139/1	0.27
138	0.33
130	0.03
135	0.28
133/2	0.24
134/2	0.42
370	0.22
371	0.01
372	0.44
373	0.14
366	0.06
367	0.15
368	0.21
361	0.23
622/1	0.17
623/1	0.15
363	0.03
544/1	0.08
520	0.35
524	0.06
540	0.27
539	0.24
514	0.01
519	0.05
521	0.07
515	0.31
522	0.02
523	0.25
493	0.04
490	0.19
491	0.10
462/1	0.11
525	0.02
461	0.20
466	0.26
450	0.13
592	0.09
591	0.01
451/1	0.21
452	0.15
620/1	0.51
449	0.25
685	0.60
624/2, 625/2	0.77
623/2	0.17
654	0.16
653/2	0.16
652/3	0.07
652/1	0.16
647	0.04
652/2	0.23
1066	0.19
625/1	0.53
640	0.45
648	0.04
649	0.22
660/1	0.56
650/1	0.25
658/1	0.49
659	0.42
660/2	0.51
660/3	0.49
661/1	0.67
1050/4	0.15
1050/6	0.20
1052/2	0.32
1052/1	0.09
1060	0.12
1061	0.25
1059	0.07
1065	0.15
1067	0.17

(1)	(2)
1069	0.17
योग	18.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलदहा व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेंडरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
87/1	0.42
86	0.26
93	0.23
94	0.20
95/2	0.15
166	0.07
165	0.14
164	0.20
159	0.23
158	0.20
160	0.25
143/2	0.17
147/1	0.10
147/2	0.32
148	0.04
140/5	0.06
140/2ख	0.30
140/3	0.11
140/4	0.40
124	0.18
125	0.37
128	0.34
145	0.02
144	0.24
143/1	0.09
127	0.03
907	0.02
योग	5.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलदहा व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-02 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1055	0.07
1056	0.27
1057	0.08
1064/1	0.17
1076	0.11
1063	0.03
1075	0.09
1074	0.09
1073	0.10
1072/1	0.06
1071	0.03
योग 11	1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अमलडीहा एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 13 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र.-02 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/1	0.020
131/2	0.555
25/10	0.040
26	0.571
35/2	0.915
35/3	0.243
22/1	0.296
22/2	0.340
109/2	0.109
21	0.202
23	0.231
103	0.041
24/1	0.097
24/2	0.122
102/1	0.405
101/3	0.032
102/2	0.202
110/2	0.437
111/1, 111/2	0.810
110/1	0.283
109/8	0.081
130	0.878
110/5	0.134
योग	7.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र.-03 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बघर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
323	0.433
324	0.490
325/2	0.255
325/1	0.125
325/3	0.125
326	0.259
330	0.134
336/1	0.134
312/5	0.109
331/2	0.089
332/1	0.081
332/2	0.316
332/5	0.097
333	0.194
463	0.008
334/1	0.081
311	0.073
420	0.045
332/4	0.041
392	0.057
385	0.061
419	0.049
384, 386, 387	0.097
391/3	0.077
418	0.109
467, 475/1, 476/1	0.089
421	0.020
422/2	0.004
344	0.041
345	0.036
431/1	0.053
432	0.004
434	0.024
433/3	0.069
433/2	0.008
433/1	0.097
435	0.020
458	0.117
456, 457	0.024
459	0.012
460	0.028
461	0.073
466	0.020
468	0.061
465/1	0.045
योग	4.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र.-05 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्हाभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.501 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237/3	0.150
548/1	0.024
550/2	0.093
540/1	0.004
541	0.057

(1)	(2)
542	0.053
543	0.032
558/2	0.073
624/1	0.060
624/2	0.049
627	0.040
549	0.028
551/3	0.028
553/1	0.024
543/3	0.024
560/2	0.049
623	0.024
625	0.081
469, 470, 471/2, 473/2	0.061
612	0.004
613	0.008
201/3	0.113
614/2	0.089
585	0.012
589	0.012
619	0.020
620	0.024
586	0.020
587	0.020
608	0.097
202	0.053
201/2	0.049
204/2	0.077
160/3	0.081
161	0.097
150, 151	0.150
156/1, 157/1, 159/1	0.194
153/1	0.085
154/2	0.041
155/1	0.036
148/1	0.049
122/3	0.065
116/2	0.057
149/2	0.085
119/1	0.061
103/1, 103/2	0.150
201/7	0.049
120	0.117
121/1	0.097
121/2	0.097
104/1	0.041
104/2	0.243
100	0.057
101/2	0.097
योग	3.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र.-06 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-ओडाडबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.425 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
725/1	0.016
725/4	0.041
725/3	0.036
725/5	0.041
725/8	0.041
728/1	0.077
726	0.069
727	0.073
725/2	0.016
811	0.097
723/1	0.073
723/2	0.077

(1)	(2)
723/3	0.121
719/1	0.024
714/2	0.186
720/1	0.020
720/3, 722/2	0.117
718	0.085
748/4	0.085
716/1, 716/3	0.073
716/2	0.020
715	0.069
714/1	0.243
771/3	0.247
770/2	0.061
746/3, 746/4	0.073
746/5	0.069
767	0.020
796/1	0.170
750	0.551
751	0.049
756/1	0.117
756/2	0.117
796/2	0.146
724, 725, 726	0.146
796/3	0.138
801/2	0.243
796/7	0.073
817/1	0.020
814/2, 815/2, 816/2	0.194
812/2	0.028
821	0.012
822	0.008
810	0.049
814/1, 815/1, 816/1	0.194
योग	4.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र.-07 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लोखान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2, 17/2	0.194
3	0.057
647/1, 663/2	0.247
4	0.275
12/1, 12/2	0.159
13/1	0.138
86/2, 87	0.065
657	0.117
16	0.012
70, 71	0.194
72	0.061
73	0.069
219	0.016
214, 215	0.077
191	0.316
74/1	0.085
88/13	0.065
88/1	0.012
88/5	0.186
88/4	0.069
88/6	0.024
88/7	0.024
88/8	0.024
672/3, 674/1, 677/1	0.146
93	0.016
88/2	0.069

(1)	(2)
88/9	0.004
233	0.117
230/2	0.109
59/2	0.117
671/1	0.178
232/1	0.393
224	0.097
225	0.016
218/1	0.032
218/2	0.065
216/1, 217/1	0.077
216/2, 217/2	0.020
655/2	0.138
212, 213	0.117
209	0.016
210	0.020
185, 186	0.178
663/1	0.441
647/2, 648, 663/3	0.275
159, 160	0.344
653/2	0.194
671/2	0.166
672/1, 673/1	0.296
656/2	0.117
योग	6.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाबोड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-पसेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
107/6	0.038
1/3	0.041
30	0.052
75/2	0.041
122	0.081
153	0.089
78/458	0.020
154	0.043
50	0.022
39/1	0.275
107/3	0.090
107/1	0.038
54	0.057
76/2	0.052
123	0.236
55	0.068
166/4	0.024
51	0.039
127/1	0.120
4/1	0.166
69	0.057

(1)	(2)
163/4	0.041
163/3	0.081
77/2	0.032
57	0.060
45	0.028
107/2	0.060
67	0.063
44/1	0.177
127/2	0.020
70	0.034
78/2	0.057
39/2	0.058
162	0.140
71	0.041
40	0.115
117/2	0.004
165	0.086
44/2	0.101
127/3	0.020
4/2	0.057
31	0.036
161	0.135
166/3	0.016
160	0.052
41	0.036
126	0.016
12	0.013
107/5	0.030
127/4	0.020
56	0.047
75/1	0.024
107/4	0.060
106	0.081
164	0.240
78/1	0.050
130/1	0.247
48	0.016
68	0.074
131	0.093
योग	4.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-गुजरवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.014 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/1	0.048
71/2	0.140
90	0.140
96/1	0.016
106/2	0.055
409/1	0.240
82	0.102
77/3	0.192
91	0.080
99/2	0.048
103	0.025
409/4	0.077
13/1	0.090
77/4	0.088
92	0.100
101/1	0.055
104	0.020
414	0.032
409/2	0.072
417/1	0.180
94	0.060
102/1	0.033
107	0.200
415	0.060
26/1	0.060
13/2	0.036
95/1	0.072
105	0.025

(1)	(2)
134/1	0.117
416	0.054
27	0.072
81/1	0.108
95/2	0.072
102/2	0.084
134/2	0.161
योग	3.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-नागम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/1	0.061
33/2	0.024
187/1	0.073
206	0.026
220/1	0.014
222/2	0.019
268	0.018
279/3	0.060
270	0.061
42/3	0.112
187/2	0.074
207/1	0.012
279/1	0.059
265/1	0.064
275	0.049
280/1	0.077
27/2	0.036
47	0.072
188/1	0.032
207/2	0.012
221/1	0.057
265/2	0.084
276	0.040
280/2	0.077
31/1	0.084
48/1	0.096
189	0.096
208	0.043
221/2	0.022
266	0.049
277	0.069
534	0.251
30/2	0.064
48/2	0.009
202	0.032
564	0.021
222/1	0.020
265/3	0.019
278	0.170
535	0.174
33/1	0.024
186/1	0.064
205	0.051
219/3	0.072
223	0.077
267	0.009
279/2	0.091
536	0.174
योग	2.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहनपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
पिंगले भवन, नेहरू चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/1000/अरपा साडा/2013-14.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अरपा विशेष क्षेत्र का विकास योजना (प्रारूप) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 69(ख) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 19-09-2013 को प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति इस कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर व कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 19-09-2013 से अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पिंगले भवन, नेहरू चौक, बिलासपुर (छ.ग.) में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है.

उक्त प्रारूप विकास योजना जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना प्रारूप, बिलासपुर के कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबंधों को स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट.

(घ) विकास योजना को प्रवर्तित कराने के लिए उपबंध तथा वह रीति जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी कथित की जाएगी.

(ङ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन का अनुमानित खर्च तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्यों के अनुमानित खर्च का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाली टिप्पणी.

No./1000/ARPA SADA/2013-14.—Notice is hereby given that the draft Development plan for Arpa Special Area Development Authority Bilaspur will be published on 19-09-2013 in accordance with provisions of section 69(b) read with sub section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy there of is available for inspection at the Office of Arpa Special Area Development Authority, Pingle Bhavan, Nehru Chouk Bilaspur (C.G.), and office of the Collector, District-Bilaspur during office hours except holidays. An exhibition is also being organized from 19-09-2013 at Town Hall-Municipal Corporation, Bilaspur.

The particulars of the said Draft Plan has been specified in the scheduled below.

If there is any objection or suggestion with respect to the draft plan, it should be sent to the Chief Executive Officer, Arpa Special Area Development Authority Bilaspur or may be submitted at the venue of exhibition within

30 days from the date of publication of the notice in the Chhattisagrh Gazette.

SCHEDULE

1. The Existing land use maps and narrative report.

2. A Narrative Report supported maps and charts explaining the provision of the Draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the Draft Development Plan.

4. The provision for enforcement the Draft Development Plan and stating the manner in which permission to development may be obtained.

5. An approximation of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of volved in the implementation of plan.

अवनीश कुमार शरण,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल

जी. ई. रोड आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर, छ.ग.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक मुनिवा/ए-14/5211/2013.—बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा (बी.ओ.ई.) की प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु भिलाई, जिला-दुर्ग में दिनांक 08 मई, 012 से दिनांक 12 मई, 2012 तक परीक्षा आयोजित की गई थी. जांच लम्बित होने के कारण तीन परीक्षार्थियों के नाम सफल परीक्षार्थियों की प्रथम सूची में सम्मिलित नहीं किये गये थे. नियमानुसार इन तीन परीक्षार्थियों में से दो परीक्षार्थियों की जांच पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षा में घोषित सफल उम्मीदवारों की सूची निम्न है :—

सरल क्रमांक (1)	रोल नम्बर (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
1.	109	श्री मलय कुमार राकेश	श्री एम. पी. राकेश	पश्चिम बंगाल
2.	200	श्री पुरुषोत्तम सिंह	श्री फूलचंद सिंह	निगोही, उ. प्र.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक मुनिवा/ए-14/5211/2013.—बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा (बी.ओ.ई.) की प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु भिलाई, जिला-दुर्ग में दिनांक 08 मई, 2012 से दिनांक 12 मई, 2012 तक परीक्षा आयोजित की गई थी. जांच लम्बित होने के कारण एक परीक्षार्थी का नाम सफल परीक्षार्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था. नियमानुसार जांच पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षा में घोषित सफल उम्मीदवार की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्रमांक (1)	रोल नम्बर (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
1.	225	श्री रणजीत सिंह राठौर	श्री राधे लाल राठौर	कोरबा

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक मुनिवा/ए-14/5211/2013.—बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा **(बी.ओ.ई) की प्रवीणता** प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड कोरबा, दर्री, जिला-कोरबा में दिनांक 14 मई, 2013 से दिनांक 17 मई, 2013 तक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्रमांक (1)	रोल नम्बर (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
1.	2	श्री प्रकाश चन्द्र	श्री कमलेश कुमार सिंह	रायगढ़
2.	3	श्री बसंत कुमार चौरसिया	श्री बलवंत कुमार चौरसिया	कोरबा
3.	11	श्री त्रिवेणी कुमार नागीसेट्टी	श्री जग्गा राव	कोरबा
4.	12	श्री गोपीनाथ दास	श्री पीताम्बर दास	रायपुर
5.	13	श्री महावीर राठौर	श्री गणेश राम राठौर	कोरबा
6.	17	श्री विवेक दुबे	श्री अरूण कुमार दुबे	रायगढ़
7.	20	श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज	स्व. श्री बालकली भारद्वाज	कोरबा
8.	22	श्री सतीश कुमार साहू	श्री जे. एल. साहू	कोरबा
9.	31	श्री नितेश सिंह परिहार	श्री सनत सिंह परिहार	कोरबा
10.	39	श्री जी. एस. वी. एस. एन. सेशांक	श्री जी. प्रसाद राव	कोरबा
11.	43	कु. मीनाक्षी कश्यप	श्री वीरेन्द्र सिंह कश्यप	कोरबा
12.	46	श्री रघुवीर सिंह	श्री चन्दन सिंह	रायगढ़
13.	52	श्री नीरज सिंह	श्री लोक नाथ सिंह	कोरबा
14.	53	श्री प्रकाश सोनी	श्री मोहन लाल सोनी	कोरबा
15.	60	श्री सौम्या शंकर राय	श्री शंकर प्रसाद राय	कोरबा
16.	62	श्री आर. सेन्थील कुमार	श्री एन. राजेन्दीरन	कोरबा
17.	64	मो. वसीम साबरी	मो. सैय्यद अजहरूल इस्लाम साबरी	रायपुर
18.	80	श्री सचिन एस. कौशिक	श्री शिवदयाल डी. कौशिक	कोरबा
19.	83	श्री शषांक कुमार कर्महे	स्व. श्री एस. एन. कर्महे	कोरबा
20.	89	श्री सौम्य रंजन पाणीग्राही	श्री श्रीनिवास पाणीग्राही	बलौदा बाजार
21.	93	श्री अरित्र प्रसन्न चटर्जी	श्री जी. पी. चटर्जी	कोरबा
22.	99	श्री आशीष चन्द्राकर	श्री अशोक कुमार चन्द्राकर	कोरबा
23.	105	श्री आनन्द नारायण	श्री सुरेन्द्र नाथ लाल	रायपुर
24.	106	श्री आशीष कुम्बलकर	श्री शंकर राव कुम्बलकर	रायपुर
25.	114	श्री विक्रम द्विवेदी	श्री कैलाश प्रसाद द्विवेदी	रायपुर
26.	122	श्री अमित वर्मा	श्री अजय कान्त वर्मा	रायपुर
27.	125	श्री बसंत कुमार राना	श्री वासुदेव राना	कोरबा
28.	130	श्रीमती संगीता कश्यप	श्री राम कृष्ण कश्यप	कोरबा
29.	132	श्री राजेश कुमार बंजारा	स्व. श्री लिलवा प्रसाद बंजारा	कोरबा
30.	136	श्री लक्ष्मण सिंह नेताम	स्व. श्री तुलसी राम नेताम	कोरबा
31.	137	श्री प्रकाश चन्द्र कौशिक	श्री मुरारी लाल कौशिक	कोरबा
32.	139	श्री एल. प्रशांत राव	श्री एल. धर्मा राव	रायगढ़
33.	140	श्री खिलेश कुमार	श्री अर्जुन लाल	रायपुर
34.	158	श्री मुकेश कुमार पटेल	श्री श्याम कुमार पटेल	कोरबा
35.	159	श्री लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी	श्री मनराखन लाल	कोरबा
36.	160	श्री मनोज कुमार जायसवाल	श्री ओ. एन. जायसवाल	कोरबा
37.	170	श्री रवीन्द्र कुमार महेश्वरी	श्री चन्द रतन महेश्वरी	रायपुर
38.	175	श्री विधान कुमार दास	श्री निरापद दास	कोरबा
39.	182	श्री प्राणेश कुमार	श्री उमेश कुमार	कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	187	श्री आलोक कस्तवार	श्री योगेन्द्र कस्तवार	कोरबा
41.	190	श्री संदीप साहू	श्री नीलमाधब साहू	रायगढ़
42.	197	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	श्री कमल किशोर अग्रवाल	कोरबा
43.	201	श्री विवेक श्रीवास्तव	श्री पी. के. श्रीवास्तव	कोरबा
44.	203	श्री शैलेश चौधरी	स्व. श्री रामाधार चौधरी	कोरबा
45.	205	श्री अविनाश वाघाडे	श्री रामकृष्ण वाधाडे	रायपुर
46.	218	श्री दिनेश पांडे	स्व. श्री राज किशोर पांडे	रायपुर
47.	243	श्री एस. बलराज	श्री व्ही. एन. पद्मशाली	कोरबा
48.	251	श्री दिनेश कुमार वर्मा	श्री अवध राम वर्मा	दुर्ग
49.	253	श्री रोहताष गर्ग	श्री सर्वेश कुमार गर्ग	कोरबा
50.	256	श्री गौरव कपिल	श्री रमेश कुमार कपिल	रायगढ़
51.	258	श्री चन्द्रशेखर बी. श्रावणकर	श्री भगवान श्रावणकर	कोरबा
52.	277	श्री मनोज कुमार गुल्हाने	श्री जगन्नाथ श्रीराम गुल्हाने	रायगढ़
53.	278	श्री प्रवीण कुमार	स्व. श्री चेतन मल	कोरबा
54.	284	श्री नीरज वैश्य	श्री रेवारामजी वैश्य	कोरबा
55.	285	श्री समीर मांडले	स्व. श्री कन्हैयालाल मांडले	कोरबा
56.	295	श्री संतोष कुमार साहु	श्री कन्हेइ साहू	रायगढ़
57.	305	श्री विजय कुमार सोनी	श्री बसंत कुमार सोनी	कोरबा
58.	347	श्री दीपक कुमार शर्मा	श्री राम कुमार शर्मा	कोरबा
59.	351	श्री दविंदर सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह	दुर्ग
60.	378	श्री आशीष कुमार सिंह	श्री कुलदीप सिंह	रायगढ़
61.	395	श्री बजरंग प्रसाद तिवारी	स्व. श्री एन. एन. तिवारी	जांजगीर/चांपा
62.	408	श्री चिन्मय दास	श्री अशोक कुमार दास	रायगढ़
63.	410	श्री जिंजला कनुभाई मनुभाई	श्री जिंजला मनुभाई पी.	कोरबा
64.	411	श्री रवि कांत मसीह	स्व. श्री योनातन मसीह	रायपुर

गुंजन शुक्ला,
सचिव.

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छ.ग. शासन द्वारा गठित)
सेक्टर-3, सी-12, देवेन्द्रनगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक/विधि.शा./773/2013.—छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 28-07-2013 के निर्णयानुसार एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 65 के अन्तर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुये मजार हजरत फातेहशाह बाबा (हजरत सैय्यद फातेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी) टिकरापारा रायपुर की चल-अचल वक्फ सम्पत्ति को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अपने अधिकार में लेता है. वक्फ सम्पत्ति जो मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 34 भोपाल शुक्रवार दिनांक 25-08-1989 में भाग 3(1) के सीरियल क्रमांक 108 एवं पृष्ठ क्रमांक 1216 में अंकित है एवं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के औकाफ पंजी के सरल क्रमांक 49 में अंकित है जिसका खसरा नं. 1962, 1963 कुल रकबा 0.607 हेक्टर (1962 रकबा 0.35, 1963 रकबा 1.50, 1964 रकबा 1.40) को उचित सुरक्षा, विकास, वक्फ सम्पत्ति की आय बढ़ाने, मस्जिद की तामीर एवं व्यवस्था और विभिन्न जनहित जनकल्याण कार्य करवाने जैसे चेरिटेबल हास्पिटल/सामुदायिक भवन/तकनीकी स्कूल/बेवा यतीम को वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान एवं वक्फ बोर्ड की आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों का निर्माण करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अपने अधिकार में

लेता है. भविष्य में आवश्यकता अनुसार वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 67 एवं 69 के अंतर्गत वक्फ के प्रबंध कमेटी का अधीक्षण एवं अधिक्रमण और वक्फ के प्रशासन के लिये स्कीम बनाने का भी अधिकार वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित है.

यह अधिसूचना आज दिनांक 02-08-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक 33.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना" होगा.

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/नगर निगम आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जिला कलेक्टर तथा सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st August 2013

No. 436/Confdl./2013/II-3-2/2002 (Pt.-II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002, dated 01-09-2012, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Ku. Vandana Verma	06-07-2013
2.	Shri Santosh Thakur	01-08-2013
3.	Shri Narendra Kumar	01-08-2013

Bilaspur, the 21st August 2013

No. 438/Confdl./2013/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 410/Confdl./2012/II-2-4/2002, dated 30-07-2012, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Vijay Kumar Ekka	01-08-2013
2.	Shri Anand Kumar Singhal	01-08-2013

Bilaspur, the 23rd August 2013

No. 6025/III-6-1/2007.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon (1) Smt. Ganga Patel, J.M.S.C., Janjgir (2) Smt. Archana Bhaskar, J.M.S.C., Janjgir, District Janjgir-Champa.

Bilaspur, the 2nd September 2013

No. 6303/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially

empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Ganga Patel, J.M.F.C.	Janjgir	Janjgir-Champa
2.	Smt. Archana Bhaskar, J.M.F.C.	Janjgir	Janjgir-Champa
3.	Shri Abhishek Sharma, J.M.F.C./Spl. Railway Magistrate.	Raipur	Raipur

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.